

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

भाग-४

सूचना-७५ पैसे प्रति अड्डा

क्र. १३/५५-२३

राजगड़िया जूधवाण, ३३ अ क्र. १८५५

वार्षिक चर्चा-१५) रुपये डाक चर्चा सहित

समाहर्षी द्वारा लिखाए जाये अधिचोप भूमि अर्जन संबंधी सूचनाएं

बिहार सरकार  
(समाहर्षालय जगड़िया)  
॥ राजस्व प्रशाखा ॥

~~सूचना~~

जगड़िया, दिनांक २-१०-५५

सूचना नं. १३/५५-२३ के अंतर्गत जगड़िया जूधवाण के समूह में उपरोक्त भूधारी द्वारा भूमि के संबंध में बिहार भूमि सुधार (अधिचोप) विधायक नया अधिनियम अर्जन (अधिचोप) बिहार और उपरोक्त अधिनियम अधिनियम द्वारा अर्जन के अंतर्गत जगड़िया जूधवाण में ३३/५५ बिहार १३/५५ के द्वारा १३ के अंतर्गत (i) के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है।

और सूचक उक्त विवरण के उक्त तालिका में संलग्न ३ के अंतर्गत में वर्णित भूमि अधिचोप भूमि के अंतर्गत दिखाई गई है।

इसलिए उक्त अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (i) में बिहार अधिनियम नं. ३३/५५ के अंतर्गत (i) के द्वारा भूमि अधिचोप का अंतर्गत करते हुए, सै. समाहर्षी, जगड़िया उक्त अधिनियम के अंतर्गत भूमि को लोक प्रयोजन के अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, अधिनियम करता है।

तालिका

अधिचोप भूमि का वयोरा :-

भूधारी का नाम एवं पता	सौजा नं.	थाना	खाना नं.	खसरा	रकबा ए० डी०	वर्ग	ग्रंथल
१	२	३	४	५	६	७	८
श्री जितेंद्र नारायण सिंह पे० स्व० महावीर प्र० सिंह ग्राम - थाना - चौधम ( जगड़िया )	२५		२३६	५७३ ७२२ ७०५ २३५ १ ५५५ ६६ २६०	० २१ ० २३ २ ५५ २ ६५ १ ५३ ० २० २ ६०	V	वीधम

जगदिया जिला मजदूरों का प्रत्यक्ष १९५१

35

सूचक नाम	सौजी नं०	पाना	पाना नं०	समस्या	रकबा	वर्ग	प्रकार
एता	०	१	२	३	ए० डी०	०	=
ई चरी	१=०	३०	११०	४	०=	V	बीघम
		३१	११०	०	३=		
		३३	११२	३	३=		
		३५	११०	६	३०		
		३६	११०	१	३=		
		३७	११६	०	०=		
बीघम	१३१	४१०	१४२३	४	२७		
			१४२७	१	३२		
मप्रहत	१२५	१३६	५=२	६	१७		
			५=५	१	०६		
बीघरी	१=०	१	१००	४	३०		
		२७	११६	०	०६		
			१११	०	४६		

कुल योग— १३६—३२ एकड़

एक सौ अठ्ठासीस एकड़ बीस डिसमन ।

(एस० आर०)  
समाहर्ता, जगदिया

अधिसूचना

अधिसूचना सं० ४/रा०-२५,२६ दिनांक-२-१०-८५ का अंशों में विभाजित अनुवाद समाहित, प्र  
 अधिकारों को इसके द्वारा प्रकृत किया जाता है जो नगर क्षेत्रों के पञ्चदश ३५८ के खड्ड (३) के अंशों में  
 शामिल हैं इसका प्राधिकृत यह प्रमाण प्रमाण

सनाहता, खगड़िया

Notification

Dated 2-10-85

Notification no 4/R/85,86 where as a statement under sub-section (i) of section 11 of Bihar Land Reforms ( Fixation of Ceiling area and acquisition of Surplus Land ) Act 1961 (Bihar Act 12 of 1962,) with regard to the land hold by the land holder mentioned in col. 1 of the Table, here to be annexed, has been published.

And whereas in the said statement the Land described in col. 2 to 6 of the said table have been shown as surplus land.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the section 15 of the said Act read with sub-clause 8(i) of Bihar ordinance no. 86/61.

I, Collector, khagaria acquire for the purpose of the said Act, the said surplus land which is required for public purposes.

TABLE.

Name of the Land holder & his father's name & address.	Village Thana No.	Khata no.	Khesra no.	Area	Remarks.		
					Class	Anchal	
1	2	3	4	5	6		
Sri Jitendra Narayan Singh S/o. Late Sri Mahabir Pd. Singh Village + P S - Choutham (Knagaria)	Agrahan/125	136	543	0 21	V	Choutham	
				712			0 26
		1	705	2 55			
		136	581	9 64			
		1	584	1 53			
		66	589	0 20			
			590	2 98			
		98	588	1 76			
	12	587	0 80				
		592	3 80				
		594	1 18				

खगड़िया जिला मजदूर १६, भादव १९६६

Name of the Land holder or his father's name & address.	Village Thana No.	Khatra no.	Khatra no.	Area	Class Anchal
1	2	3	4	5	6
	Dighri/180	78	180	2 92	V Choutham
			180	1 95	
		27	119	0 85	
		25	288	4 40	
	Choutham/171	410	1428	4 27	
			1427	1 32	
	Agrahaj/125	136	582	9 17	
			565	1 08	
	Dighri/180	1	70	7 60	
		27	119	0 06	
			74	0 49	
G. Total—				139	32

One hundred thirty nine acres & thirty two Decimal only.

( S. Sharan )  
Collector, Khagaria

जिला प्रदाधिकारी, खगड़िया द्वारा प्रकाशित एवं किकर प्रेस, पुरानी कचहरी, खगड़िया में मुद्रित ।